न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **195 / 2022** **अन्तर्गत धारा 251A RT Act.**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. ईश्वरसिंह पुत्र जीवणदान 2. उतमदान पुत्र जीवणदान 3. चन्दनदान पुत्र जीवणदान 4. जीवणदान पुत्र शकरदान जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. खनिज अभियंता, खनिज भवन सिणधरी चौराहा, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 26.05.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 14.5606 हैक्टेयर मौजा गूंगा, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी सरकारी खसरा नम्बर 1234 / 125 रकबा 7.2843 हैक्टेयर की भूमि के नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि है तथा खनिज प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण द्वारा डामर सड़क से अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में उक्त सरकारी भूमि को गांव के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर छीणों के टुकड़े एवं तारबंदी कर अवरूद्ध कर दिया गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं यथा आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम दूरी को पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ता कटाण में जाने वाली भूमि क्षेत्र की प्रतिफल राशि जमा करवाने बाबत् वचनबद्ध है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 खनिज विभाग की ओर प्रस्तावित भूमि से रास्ता कटाण बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत में से आवागमन हेतु रास्ता देने में अपनी सहमति प्रदान की गंई। तहसीलदार शिव से उक्त प्रस्तावित रास्ते के संबंध में धारा 251 ए के नियमानुसार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई तथा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के लिए आवागमन हेतु एकमात्र विकल्प है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 04 गट्ठा होगी।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित रास्ते बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करते हुए सहमति प्रदान की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के आवेदन को विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 1234/125 रकबा 7.2843 हैक्टेयर में से 0.1780 हैक्टेयर अर्थात 01.02 बीघा रास्ता कटाण हेतु प्रस्तावित भूमि की अनापत्ति प्रदान कर अभिंशषा की गई है। तहसीलदार शिव द्वारा भी मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी तक आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता एकमात्र विकल्प होने रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में माफिक तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बरं 127 रकबा 14.5606 हैक्टेयर मौजा गूंगा, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 1234/125 रकबा 7.2843 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 0.1780 हैक्टेयर अर्थात 01.02 बीघा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार तहसीलदार शिव को पूर्व में रास्ता कटाण में जाने वाली कुल भूमि रकबा 0.1780 हैक्टेयर अर्थात 01.02 बीघा का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 26.05.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)